न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 09/2022 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

1– रूकमणी देवी पत्नी शंकरलाल तेली उम्र वयस्क, नि0 बेमाली, तह. करेडा जिला भीलवाडा

——वादीया

बनाम

1– पवन पुत्र शोभा लाल महाजन उम्र वयस्क, नि0 बेमाली, तह. करेडा जिला भीलवाडा
2– बाबुलाल पुत्र मियाराम गांडरी उम्र वयस्क, नि0 गाडरी का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3– भगवती देवी पत्नी सत्यनारायण ब्राहम्ण उम्र वयस्क, नि0 बेमाली, तह. करेडा जिला भीलवाडा
4– शान्तिलाल पुत्र सुख लाल महाजन उम्र वयस्क, नि0 बेमाली, तह. करेडा जिला भीलवाडा
5– राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

——प्रतिवादीगण

———

वादपत्र अन्तर्गत धारा – 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत् विभाजन आराजियात
1956

उपस्थितः–
01 श्री मुकेश सिंह तॅवर — अधिवक्ता वादीया

:: निर्णय ::

दिनांक 02.08.2022

वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर संवत 2073 से 2076 अनुसार ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली के खाता संख्या 1179 में अंकित आराजी वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सैदव मेड़ पाली की घास काटने तथा खेत की हकाई , चराई आदि में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीया का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण 03 व 04 उपस्थित नहीं हुए एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। नियत दिनांक को प्रतिवादी 01 व 02 को विधिवत् तीन मर्तबा रूक रूक कर आवाजें लगाई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी 01 व 02 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए। वादीया के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:56:49 IST
Reason: SelfAttested

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है अतः

आदेश

ग्राम बेमाली पटवार हलका बेमाली के आराजी संख्या 2973, 2978, 2980, 3069, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087 व 3088 कुल किता 12 रकबा 6.3989 हैक्टर भूमि में निम्नानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है –

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

क – रूकमणी देवी पत्नी शंकरलाल तेली निवासी बेमाली के नाम पर –

राजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर
069/2	0.1703	3081/1	0.0052	3082/1	0.1610
083/ 2	0.2403	3083/ 4	0.0006	3084/ 1	0.2729
085/ 2	0.3170	3086	0.0253	3087/ 2	0.0872

कुल किता 9 रकबा 1.2798 हैक्टयर

ख –पवन पुत्र शोभा लाल महाजन निवासी बेमाली के नाम पर –
ा.नं. 3083/5 रकबा 0.6398 हैक्टयर

ग – शान्तिलाल पुत्र सुखलाल महाजन निवासी बेमाली के नाम पर –

राजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर
973	0.7461	2978	0.6576	2980	0.3794

कुल किता 3 रकबा 1.7831 हैक्टयर

घ – बाबूलाल पुत्र मियाराम गाडरी निवासी गाडरी का खेड़ा, थला तह0 रायपुर जिला
ीलवाड़ा के नाम पर –

राजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर
069/1	0.1332	3083/1	0.3090	3085/1	0.2394
087/1	0.1784	3088	0.5564		

कुल किता 5 रकबा 1.4164 हैक्टयर

ड. – भगवती देवी पत्नी सत्यनारायण शर्मा निवासी बेमाली के नाम पर –

राजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर
081/2	0.1718	3082/2	0.2690	3083/3	0.7199
084/2	0.0095	3084/3	0.1096		

ुल किता 5 रकबा 1.2798 हैक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व राजस्व रेकॉर्ड में अलग खाता ायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल ुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

र्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:56:49 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर)
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 09/2022 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

1– रूकमणी देवी पत्नी शंकरलाल तेली उम्र वयस्क, नि0 बेमाली, तह. करेडा जिला भीलवाडा

——वादीया

बनाम

1– पवन पुत्र शोभा लाल महाजन उम्र वयस्क, नि0 बेमाली, तह. करेडा जिला भीलवाडा
2– बाबुलाल पुत्र मियाराम गाडरी उम्र वयस्क, नि0 गाडरी का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3– भगवती देवी पत्नी सत्यनारायण ब्राहम्ण उम्र वयस्क, नि0 बेमाली, तह. करेडा जिला भीलवाडा
4 शान्तिलाल पुत्र सुख लाल महाजन उम्र वयस्क, नि0 बेमाली, तह. करेडा जिला भीलवाडा
5– राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

——प्रतिवादीगण

——

वादी की ओर से श्री मुकेश सिंह तॅवर , एडवोकेट और प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 02.08.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

तहसीलदार करेड़ा के मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिकी की जाती है कि –

ग्राम बेमाली पटवार हलका बेमाली के आराजी संख्या 2973, 2978, 2980, 3069, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087 व 3088 कुल किता 12 रकबा 6.3989 हैक्टर भूमि में निम्नानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है –

क – रूकमणी देवी पत्नी शंकरलाल तेली निवासी बेमाली के नाम पर –

आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर
3069/2	0.1703	3081/1	0.0052	3082/1	0.1610
3083/ 2	0.2403	3083/ 4	0.0006	3084/ 1	0.2729
3085/ 2	0.3170	3086	0.0253	3087/ 2	0.0872

कुल किता 9 रकबा 1.2798 हैक्टयर

ख –पवन पुत्र शोभा लाल महाजन निवासी बेमाली के नाम पर –
आ.नं. 3083/5 रकबा 0.6398 हैक्टयर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:36:49 IST
Reason: SelfAttested

ग – शान्तिलाल पुत्र सुखलाल महाजन निवासी बेमाली के नाम पर –

आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर
2973	0.7461	2978	0.6576	2980	0.3794

कुल किता 3 रकबा 1.7831 हैक्टयर

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

घ – बाबूलाल पुत्र मियाराम गाडरी निवासी गाडरी का खेड़ा, थला तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा के नाम पर –

आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर
3069/1	0.1332	3083/1	0.3090	3085/1	0.2394
3087/1	0.1784	3088	0.5564		

कुल किता 5 रकबा 1.4164 हैक्टयर

ङ. – भगवती देवी पत्नी सत्यनारायण शर्मा निवासी बेमाली के नाम पर –

आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर	आराजी नंबर	हैक्टयर
3081/2	0.1718	3082/2	0.2690	3083/3	0.7199
3084/2	0.0095	3084/3	0.1096		

कुल किता 5 रकबा 1.2798 हैक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व राजस्व रेकॉर्ड में अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 02.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:56:49 IST
Reason: SelfAttested